

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0  
 पत्र के सम्बन्ध में जाच की गई। जिसके अनुसार

मिसेज ई डि ग्राफ गैलपुरा की गन्नाज 0900 94 में डार्जी का नाम त्रिलोक 03  
 राजस्व रिपोर्ट में दर्ज परन्तु डार्जी द्वारा प्रस्तुत अपन पत्र, गद्दारवाडी, राज  
 में डार्जी का नाम त्रिलोकचन्द पुत्र सुरजाराज से क. डार्जी का नाम त्रिलोक पुत्र सुरजाराज  
 नाम त्रिलोकचन्द पुत्र सुरजाराज शुद्ध डिजा गन्नाज पत्र के

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

12/11/2020  
 प.ग. (समान) 12/11/20

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है /  
 की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

12/11/2020  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुनू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)  
 उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गैलपुरा	2075-78	94	त्रिलोक पुत्र सुरजाराज	त्रिलोकचन्द पुत्र सुरजाराज

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

12/11/2020  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 उदयपुरवाटी (सुंयुनू)  
 दिनांक :- 12/11/20

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

12/11/2020  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 उदयपुरवाटी (सुंयुनू)